संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/4/कार्या.स्था./सेल-1/2013/ भोपाल,दिनांक 04/07/2013

// आदेश //

श्री दिनेश सिंह यादव, सहायक ग्रेड-3 संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को बिना सूचना एवं अनुमति के कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने, तथा दिनांक 29.07.2009 से निरंतर अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने के आरोप में दिनांक 20.04.2010 को कार्यालयीन ज्ञाप क्र. 819 के माध्यम से आरोप पत्र जारी कर प्रतिवाद उत्तर चाहा गया था ।

श्री यादव द्वारा प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत न करने के कारण उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय जांच संस्थित की जा कर डॉ. सी.बी.सोलांकी उपसंचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को जांचकर्ता अधिकारी तथा प्रशासकीय अधिकारी कार्यालय स्थापना को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया । डॉ. सी.बी. सोलांकी द्वारा दिनांक 04.10.2011 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । जिसमें शाखा की उपस्थिति पंजी के आधार पर आरोप कमांक 02 के अनुसार जानवरी 2008 से अक्टूबर 2008 की अवधि की अनाधिकृत अनुपस्थिति प्रमाणित पायी गई तथा दिनांक 29.07.2009 से निरंतर अनाधिकृत अनुपस्थिति को भी जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रमाणित पाया गया । उक्त अवधि की अनुपस्थिति के लिये श्री दिनेश सिंह यादव को दिनांक 16.06.2009 को कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया था जिसका प्रतिवाद उत्तर उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया ।

जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संचालनालय के पत्र दिनांक 27.12.2011 के माध्यम से श्री यादव को जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध करवाई जाकर उनका प्रतिवाद उत्तर चाहा गया था । किन्तु उनके द्वारा प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । स्मरण पत्र जारी करने के उपरांत भी श्री यादव द्वारा प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया ।

कार्यालयीन रिकार्ड से स्पष्ट है कि श्री यादव कर्त्तव्य से बिना सूचना के अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने के आदि हैं तथा कारण बताओ सूचना पत्र आदि का जवाब भी इनके द्वारा नहीं दिया जाता है जो वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं उद्दंडता की श्रेणी में आता है एवं किसी भी शासकीय सेवक की पदीय गरिमा के विपरीत है तथा इससे शासन की छवि भी आमजन के समक्ष धूमिल होती है । श्री यादव

C:\Users\wipro\Desktop\D K Folder\DK Letter02.docx

का उपरोक्त आचरण म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है ।

उपरोक्त कदाचरण के कारण श्री दिनेश यादव, सहायक ग्रेड-3 का शासकीय सेवा में बने रहना वांछनीय नहीं है ।

अतः संपूर्ण प्रकरण पर विचारोपरांत श्री दिनेश सिंह यादव, सहायक ग्रेड-3 को म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(सात) के अंतर्गत अनिवार्य सेवा निवृत्ति की दीर्घ शास्ति से दण्डित किया जाता है ।

(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित)

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

पृ. कमांक/4/कार्या.स्था./सेल-1/2013/2227 भोपाल, दिनांक : 04/07/2013

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय, वल्लभ भवन,भोपाल।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय ।
3. वित्तीय सलाहकार, स्थानीय कार्यालय ।
4. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय ।
5. उप संचालक/शाखा प्रभारी, शिकायत/अविज्ञप्त,गोपनीय शाखा, स्थानीय कार्यालय।
7. श्री दिनेश सिंह यादव, सहायक ग्रेड-3, स्थानीय कार्यालय ।
8. व्यक्तिगत नस्ती ।

04/7/13

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

C:\Users\wipro\Desktop\D K Folder\DK Letter02.docx

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्य प्रदेश

क./4/शिका./एफ-382/सेल-01/रीवा/2013/ भोपाल, दिनांक : / /2013

// आदेश //

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा द्वारा पत्र दिनांक 08.11.2010 के माध्यम से इस आशय की सूचना दी गई कि श्री राघवेन्द्र सिंह फार्मासिस्ट ग्रेड-2 का स्थानान्तरण जिला रीवा से सीधी हो जाने पर उनके द्वारा फर्जी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रु. 60,000/- अग्रिम राशि की वसूली को छिपाया गया है ।

उक्त स्थिति संज्ञान में आने पर संचालनालय के आदेश दिनांक 10.11.2010 के द्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह फार्मासिस्ट ग्रेड-2 को निलंबित किया जाकर उनका मुख्यालय शहडोल नियत किया गया तथा दिनांक 20.12.2010 को आरोप पत्रादि जारी कर प्रतिवाद उत्तर अपेक्षित किया गया । श्री राघवेन्द्र सिंह पर अग्रिम राशि रु. 60,000/- का समायोजन न करवाने तथा कूट रचित एल.पी.सी. तैयार कर रु. 60,000/- अग्रिम की वसूली को छिपाते हुये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सीधी से पूर्ण वेतन भत्ते प्राप्त करने से संबंधित दो आरोप अधिरोपित किये गये थे । प्रतिवाद उत्तर संतोषजनक न होने के परिणाम स्वरुप संचालनालय के आदेश कमांक 635 दिनांक 22.03.2011 के द्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई ।

संयुक्त संचालक रीवा द्वारा पत्र दिनांक 19.05.2011, 10.08.2011, 02.11.2011 एवं 05.01.2012 के माध्यम से प्रकरण में प्रतिवेदन प्रेषित किये गये ।

जांच प्रतिवेदन पर श्री राघवेन्द्र सिंह का प्रतिवाद उत्तर प्राप्त किया गया एवं उन्हें समक्ष में भी सुनवाई का अवसर दिनांक 14.05.2013 को प्रदान किया गया । सुनवाई में उपस्थित होकर उनके द्वारा स्वयं के उपर लगाये गये आरोपों से इंकार किया गया । श्री राघवेन्द्र सिंह को आरोप सिद्ध होने पर संभावित दीर्घ शास्ति से भी अवगत कराया गया ।

प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया गया । श्री राघवेन्द्र सिंह के दो अंतिम वेतन प्रमाण पत्र जारी होना निर्विवादित है।

तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा द्वारा हैण्डराईटिंग एक्सपर्ट के माध्यम से दोनों अंतिम वेतन प्रमाण पत्रों की जांच करवाई गई है। हैंण्राईटिंग एक्सपर्ट के अनुसार अंतिम वेतन प्रमाण पत्रो पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर डी-2 एवं सी-2 अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा बनाये गये हैं। एक्सपर्ट द्वारा स्वयं श्री राघवेन्द्र सिंह की लिखावट सी-1 का मिलान कूट रचित एल.पी.सी. की लिखावट डी-1 के साथ किया जाकर दोनों लिखावटों को एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा गया माना गया है ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि रु. 60,000/- की अग्रिम वसूली को छिपाते हुये कूट रचित एल.पी.सी. जारी की गई है । कूट रचित एल.पी.सी. जारी करने के परिणाम स्वरुप सीधा लाभ हितबद्ध व्यक्ति श्री राघवेन्द्र सिंह को प्राप्त होना निश्चित था अतः उक्त कूट रचित एल.पी.सी. श्री राघवेन्द्र सिंह द्वारा जारी किया जाने की संभावना प्रबल है एवं यह तथ्य हैण्डराईटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट से प्रमाणित भी होता है । सी-1 (श्री राघवेन्द्र सिंह की नमूना लिखावट) एवं डी-1 (एल.पी.सी.) की लिखावट एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी गई होना पाया जाने से यह स्पष्ट होता है कि कूट रचित एल.पी.सी., रु. 60,000/- की वसूली को छिपाते हुये श्री राघवेन्द्र सिंह फार्मासिस्ट ग्रेड-2 द्वारा ही तैयार की गई है ।

अतः प्रकरण में स्पष्ट रुप से स्थापित तथ्य यह है कि श्री राघवेन्द्र सिंह द्वारा रु. 60,000/- अग्रिम की वसूली को छिपाने के लिये कूटरचित एल.पी.सी. तैयार करने एवं उसके आधार पर वेतन भत्ते प्राप्त करने का गंभीर कदाचरण किया गया है ।

उपरोक्त कदाचरण हेतु श्री राघवेन्द्र सिंह फार्मासिस्ट ग्रेड-2 को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10(7) के अधीन दीर्घशास्ति से दण्डित करते हुये अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है ।

(स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित)

(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश.

पृ.क./4/शिका./एफ-382/सेल-01/रीवा/2013/1321 भोपाल, दिनांक : 05/06/2013

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, स्थानीय कार्यालय की ओर उपरोक्त प्रकरण में दिये गये आदेशों के पालन में प्रेषित ।
3. प्रशासकीय अधिकारी, आडिट शाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर उनके पत्र दिनांक 03.11.2010 के संदर्भ में प्रेषित ।
4. आयुक्त रीवा/शहडोल, म.प्र.।
5. कलेक्टर रीवा/सीधी शहडोल म.प्र. ।
6. संभागीय संयुक्त संचालक रीवा म.प्र. ।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा की ओर आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी आदेश संबंधित कर्मचारी को तामीली कराते हुये उक्त आदेश की प्रविष्टि, संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में अंकित करते हुये दर्ज प्रविष्टि की छायाप्रति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रुप से अवगत कराना सुनिशित करें ।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शहडोल/सीधी म.प्र.।
9. उपसंचालक अविज्ञप्त शाखा, स्थानीय कार्यालय ।
10. प्रभारी एम.आई.एस. सेल, स्थानीय कार्यालय ।
11. श्री राघवेन्द्र सिंह, फार्मासिस्ट ग्रेड-2, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक रीवा म.प्र.।
12. आदेश नस्ती ।

05/6/13

अपर संचालक(प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश.

MIS-
05/6/13

C:\Users\wipro\Desktop\D K Folder\DK Letter02.docx